

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

आदेश

का0आ0/प्र0-01/ल0ज0सं0वि0/स्था0(क0अ0)-06/2025 497 /पटना, दिनांक-16/05/2025
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी0) सं0-7257/2023
शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को परित
न्याय-निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-20 दिनांक-01.01.2025
द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु
लघु जल संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न अवधियों में अभ्यर्थियों के
शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में उपस्थित
अभ्यर्थियों जिनके द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया, उनकी नियुक्ति अभियंता प्रमुख
कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-349 दिनांक-17.04.2025 द्वारा शर्तों के
अधीन कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति की गयी है।
2. अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-349 दिनांक-
17.04.2025 द्वारा परिवीक्षा पर नवनियुक्त निम्नांकित 03 (तीन) कनीय अभियंता (याँत्रिक) को
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता
है:-

क्र0 सं0	नवनियुक्त कनीय अभियंता का नाम/ गृह जिला	पिता/ पति का नाम/ स्थायी पता	समेकित मेधा क्रमांक/ पंजीयन सं0	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभ्यु0
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 गयासुद्दीन/ पटना	स्व0 मो0 सलीम अहमद/ ग्राम-बड़ी खगौल फाटक पर पोस्ट+थाना-खगौल, जिला-पटना 801105	258/ BR00150010037417	16.02.1989	लघु सिंचाई प्रमण्डल, वेतिया,	
2	श्री विकास कुमार / पश्चिम चम्पारण	श्री जगमोहन प्रसाद/ ग्राम-बेलवा, पोस्ट+थाना-लौरिया जिला-पश्चिम चम्पारण 845453	418/ BR00150010050352	04.01.1998	लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	
3	सुश्री/ श्रीमती कुमारी प्रियंका/ मुजफ्फरपुर	श्री विनय कुमार/ ग्राम-अनंत कमतौल पोस्ट+थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर 844120	1050 BR00150010075423	13.11.1992	लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर	

- नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पदस्थापन स्थान पर योगदान देना अनिवार्य होगा।
- संबंधित कार्यालय नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) के योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगे।
- नवनियुक्त वैसे कनीय अभियंता(याँत्रिक), जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय विरमण आदेश/ त्याग पत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन के उपरांत संविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे ।
7. नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) का नियुक्ति पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच कर लेंगे । साथ ही नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच विभागीय वेबसाईट से भी कर लेंगे ।
8. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति आदेश से कर लेंगे ।
9. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का नई अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या (PRAN No.) अवश्य रूप से खोल लिया जायेगा ।
10. नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
12. नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) को पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
13. पदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवा संतोषप्रद रहने पर नियमानुसार नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी ।
14. संबंधित कार्यालय योगदान करने वाले नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) की सूचना अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगे ।
15. नवनियुक्त कनीय अभियंता(यांत्रिक) द्वारा राज्य सरकार एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।
16. संबंधित कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को आदेश में टंकण त्रुटि परिलक्षित होती है तो इससे अविलम्ब अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अवगत करायेगे ।
17. यदि भविष्य में आदेश में कोई भूल अथवा टंकण त्रुटि आदि परिलक्षित होती है तो इसे तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा ।


 (सुनील कुमार)
 अभियंता प्रमुख,


जापांक-का0आ0/प्र0-01/ल0ज0सं0वि0/स्था0(क0अ0)-06/2025 ⁴⁹⁷ लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।
 पटना, दिनांक-16/05/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/
 सचिव/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डली आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित
 कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 अभियंता प्रमुख,

जापांक-का0आ0/प्र0-01/ल0ज0सं0वि0/स्था0(क0अ0)-06/2025 ⁴⁹⁷ लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।
 पटना, दिनांक-16/05/2025

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/
 सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता/
 संबंधित सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 अभियंता प्रमुख,


लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।






ज्ञापांक-का0आ0/प्र0-01/ल0ज0सं0वि0/स्था0(क0अ0)-06/2025 497/पटना, दिनांक-16/05/2025

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।
15/5/25

